

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद — चमोली

वृत्त का नाम:— 7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :— प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्य का नाम:— जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में
घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल :- 0.700 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल :- 0.072 हेक्टेयर
0.772 हेक्टेयर

CHECK LIST

Name of Project :- Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector. Length 1.50 Km

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)		Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Name of Project :- Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector. Length 1.50 Km

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increases the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required

CHECK LIST

Name of Project :- Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector. Length 1.50 Km

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached



Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar



Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

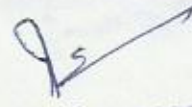
Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr@rediffmail.com

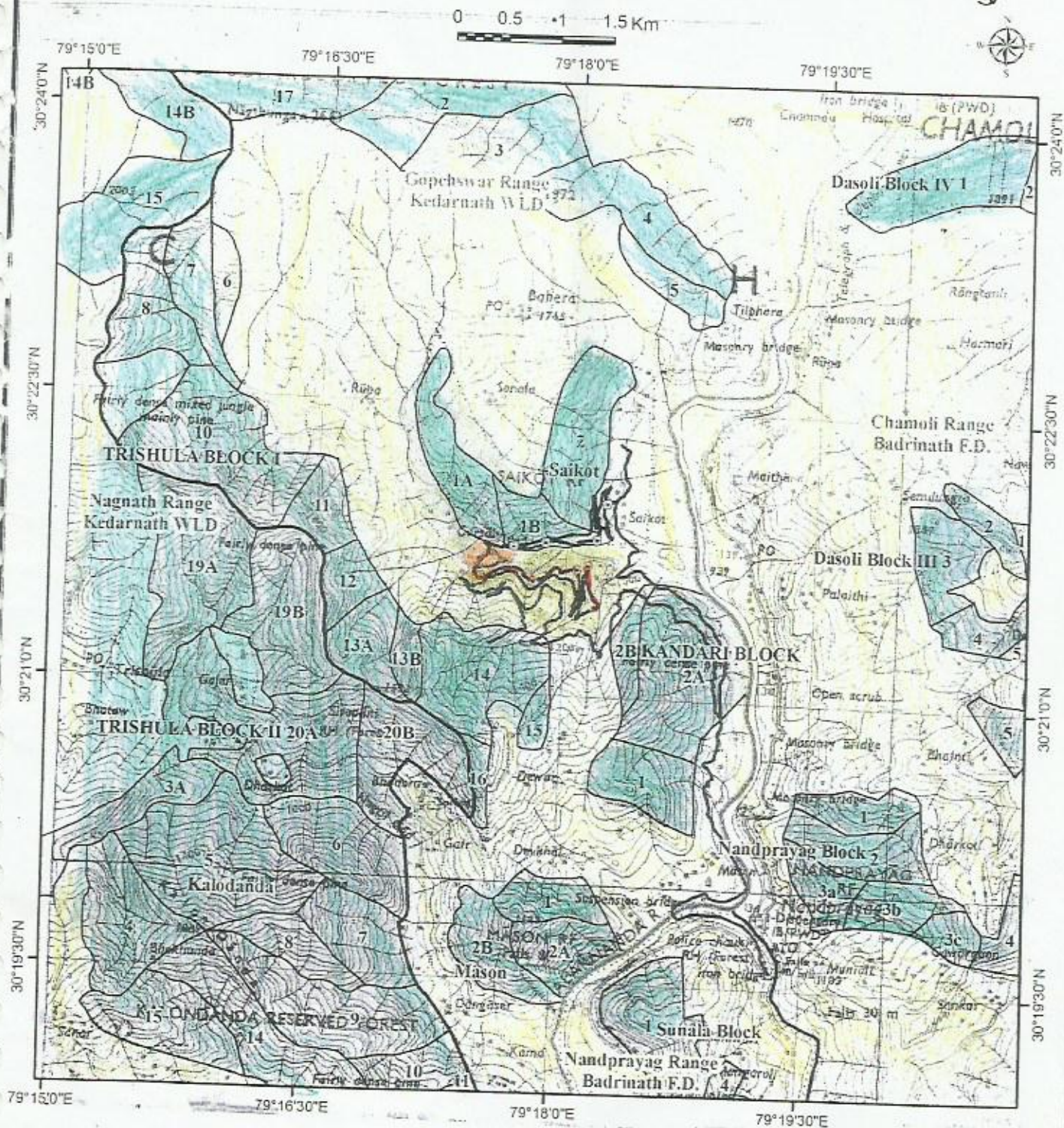
To Whome it May Concern to

Name of Work :- *Construction of Ghurshal to Saikot motor
road. Length - 1.5 Km.*

It is state that Mr. Berindra Singh Bartwal, Assistant Engineer,
Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online
submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on
behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agent.


Executive Engineer
Provincial Division P. W. D.
Gopeshwar

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी 0+ 36 मीटर स्पान स्लील गर्डर सेतु)



ज.क.
J.E.

ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

अधिकासी अभियन्ता
राज्यीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रंज
कंदारनाथ वन जीव प्रभाग

पटवारी

सहायक निरीक्षक

उप निरीक्षक

जिलाधिकारी

चमोली

जिलाधिकारी

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अर्न्तगत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी0+ 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

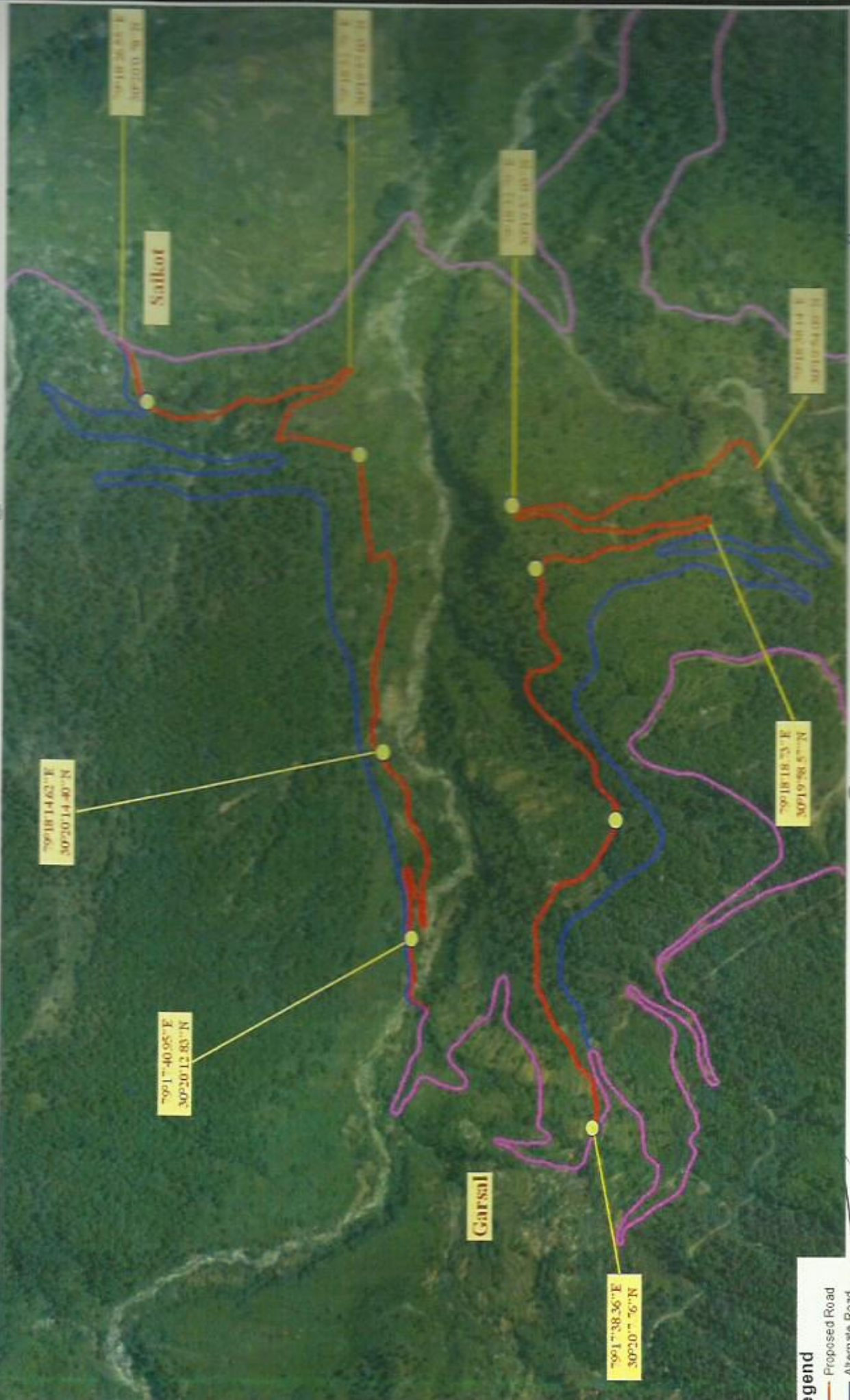
अधिसासी अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

जिलाधिकारी
चमोली

लेखाधिकारी
गोपेश्वर रेंज
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप वन संरक्षक
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अर्न्तगत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी) 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)



ASSISTANT ENGINEER (H)
 Provincial Division F.V.D.
 जिला चमोली
 जिला चमोली
 जिला चमोली
 जिला चमोली

Justification

Name of The Project :-

Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector. Length 1.50 Km

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Ghurshal, Saikot have to walk through a distance of 1.50 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 0.70 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 0.70 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.



**Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar**



**Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar**

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

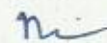
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.70 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road, Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils:

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.70 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Ashok Kumar)

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated at timeat Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.70 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature


जिलाधिकारी
(Ashok Kumar)
चमोली
(District Magistrate Chamoli)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.98 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि.

को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|---------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री | अवधेश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री | | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री | आर. एन. खन्ना | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री | सुनीता देवी पंवार | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.98 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

Av 232
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन के लाधिकारी
21654

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
सुनीता देवी पंवार
(सुनीता देवी)
बी.डी.सी. क्षेत्र
विकास खण्ड दशोली
घुड़साल
(चमोली)

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

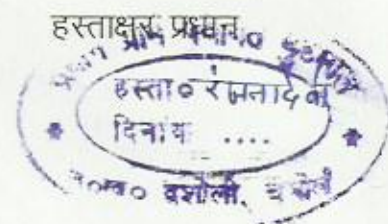
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु ^{0.772}~~0.98~~ हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ^{0.772}~~0.98~~ हे० सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि ^{0.772}~~0.98~~ हे० सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

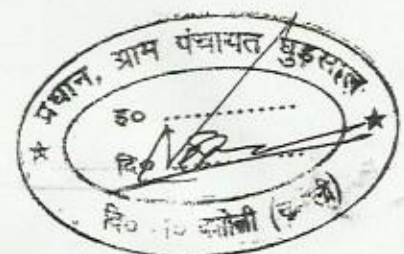
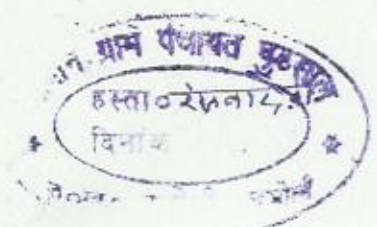


अनापत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्राम वासी ग्राम दुइसाल, सेवोट घोषित करते हैं कि मोटर मार्ग दुइसाल-सेवोट के निर्माण जो लो० नि० वि० गोपेस्वर द्वारा किया गया है, उसमें ग्राम-वासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, यह कर्म सन्मार्गीय प्रारम्भ किया जाय,

समस्त ग्रामवासियों के नाम कहलाकर

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) विजयपाल सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (2) दीपक पंवार | <i>[Signature]</i> |
| (3) प्रकाश सिंह पंवार | <i>[Signature]</i> |
| (4) कलराम | <i>[Signature]</i> |
| (5) बलवीर सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (6) मकर सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (7) जयनारायण | <i>[Signature]</i> |
| (8) अमर सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (9) जयेश चन्द | <i>[Signature]</i> |
| (10) भागत लाल | <i>[Signature]</i> |
| (11) दुधल सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (12) विजयसिंह | <i>[Signature]</i> |
| (13) दुर्गम सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (14) | |
| (15) विजयपाल सिंह | <i>[Signature]</i> |
| (16) | |
| (17) | |
| (18) | |
| (19) | |
| (20) | |
| (21) | |
| (22) | |



सत्य प्रतिनिधि

सहायक अभियन्ता
पा० खण्ड लो० नि० वि०

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

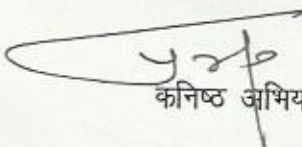
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1971 (1)/111-2/13-55 (प्रा0आ0)/2012 दि0 14.03.2013 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 103.16 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध रु0 0.10 लाख टोकन मनी के रूप में प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 0.70 हे0 सिविल एवं 0.072 हे0 मक डिस्पोजल हेतु हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

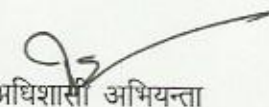
इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम घुड़साल, सैकोट एवं घुड़साल बैण्डू हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। स्वीकृत शासनादेश द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी, किन्तु ग्राम बैण्डू के ग्रामवासियों द्वारा अपनी नापभूमि न देने के कारण मात्र ग्राम सैकोट, घुड़साल हेतु ही 1.50 किमी0 में इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है, उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (7) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 0.70 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है। मक डिस्पोजल हेतु 0.072 हे0 सिविल भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः 1.50 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 0.70 हे0 सिविल एवं 0.072 हे0 मक डिस्पोजल हेतु सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशस्ता अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

संख्या:- 1971 / 111(2) / 13-55(प्र0आ0) / 2012

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2013
वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 38.50 किमी0 + 03 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 499.70 लाख (₹ चार करोड़ निम्नयानवे लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से लीं गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

14/3/13

सत्य प्रतिनिधि

(11)

-3-

शासनादेश संख्या:-1971 (1)/111(2)/13-55(प्र0आ0)/2012 दिनांक 14 मार्च, 2013 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
✓ 1	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैंकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	103.16	0.10
✓ 2	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	50.32	0.10
✓ 3	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में नन्दप्रयाग-देवलखाल मोटर मार्ग का बेड़ू तक विस्तार।	0.500	6.29	0.10
✓ 4	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।	3.00	37.80	0.10
✓ 5	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु०मं०घो० संख्या- 396/2012)	10.00	125.80	0.10
✓ 6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में बाँला से श्रीकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु०मं०घो० संख्या- 410/2012)	2.00	25.16	0.10
✓ 7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में गौचर-दुवा-काण्डा मोटर मार्ग का बमेली तक विस्तारीकरण। (मु०मं०घो० संख्या- 411/2012)	6.00	75.48	0.10
8	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रामपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नांगल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सड़क का निर्माण।	5.00 + 300 mt brg	62.44 (38.00 + 24.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
9	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर शरीफ दरगाह के सामने पुरानी गंग नहर पर आर०सी०सी० प्रीस्ट्रस्ड सेतु का निर्माण कार्य। (मु०मं०घो० संख्या- 817/2012)	95 mt	10.45	0.10
10	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट में आई०टी०आई० को जाने हेतु खाईबगड़ से चीराबगड़ के बीच 70 मी० झुलापुल का निर्माण।	70.00 mt	2.80	0.10
	योग	38.50 + 03 brg	499.70	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Department P.W.D.

सत्य प्रतिनिधि

[सहमा]
(सहमा)
अनु. सचिव

परियोजना का नाम:-

जन द चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 27.02.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बलवीर सिंह नेगी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~...~~, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रदीप नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.70 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 0.30 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 500 मी० नाप भूमि से, 1000 मी० सिविल भूमि से, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.35 हे० नाप भूमि 0.70 हे० सिविल भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.70 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 83 वृक्ष व नापभूमि ... वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 700 मी० नाप भूमि से, 1300 मी० सिविल भूमि, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 0.49 हे० नाप भूमि, 0.91 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.91 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान $79^{\circ}17'40.95''$ - E. $30^{\circ}20'12.83''$ - N है तथा यह स्थल नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के किमी० 10 से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम सैकोट है, जिसका जी०पी०एस० मान $79^{\circ}18'26.55''$ - E. $30^{\circ}20'0.78''$ - N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु, विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान $79^{\circ}17'40.95''$ - E. $30^{\circ}20'12.83''$ - N, $79^{\circ}18'14.62''$ - E, $30^{\circ}20'14.40''$ - N है।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित है।

अमीन

कानूनी अधिकारी

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खंड लो०नि०वि,
गोपेश्वरसहसलीदार
(सदर)
चमोली

चमोली

घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग से प्रभावित वृक्षों की सूची

क्रम सं	प्रजाति	वृक्ष व्यास वर्ग										90 ओवर	योग	अव्युक्ति
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90				
1	वृक्ष	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ओवर	योग	अव्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	भीमल	..	16	01	..	..	..	..	..	..	..	17	पेड 20-30का श्री सुरेन्द्रसिंह/नरेन्द्रसिंह सती का भी सम्मिलित है	
2.	तुल	..	..	..	01	..	..	..	..	..	..	01		
3.	खड़ीक.	01	02	02.	..	..	..	..	..	..	..	05	पेड उक्तानुसार	
4	रिपूला	..	06	02	..	..	..	..	..	..	02	08		
5	आम	..	..	..	01	..	..	..	..	..	..	03		
6	सौरस	..	..	01	..	..	..	..	..	..	..	01		
7	बडमल	..	..	01.	..	..	..	..	..	..	..	01		
8	गौरी	..	..	01.	..	..	..	..	..	..	..	01		
9.	गोड	..	11	25.	09.	..	..	01	..	..	..	46		
	योग	01	35	33	11	..	..	01	..	..	02	83		

(Handwritten signature)

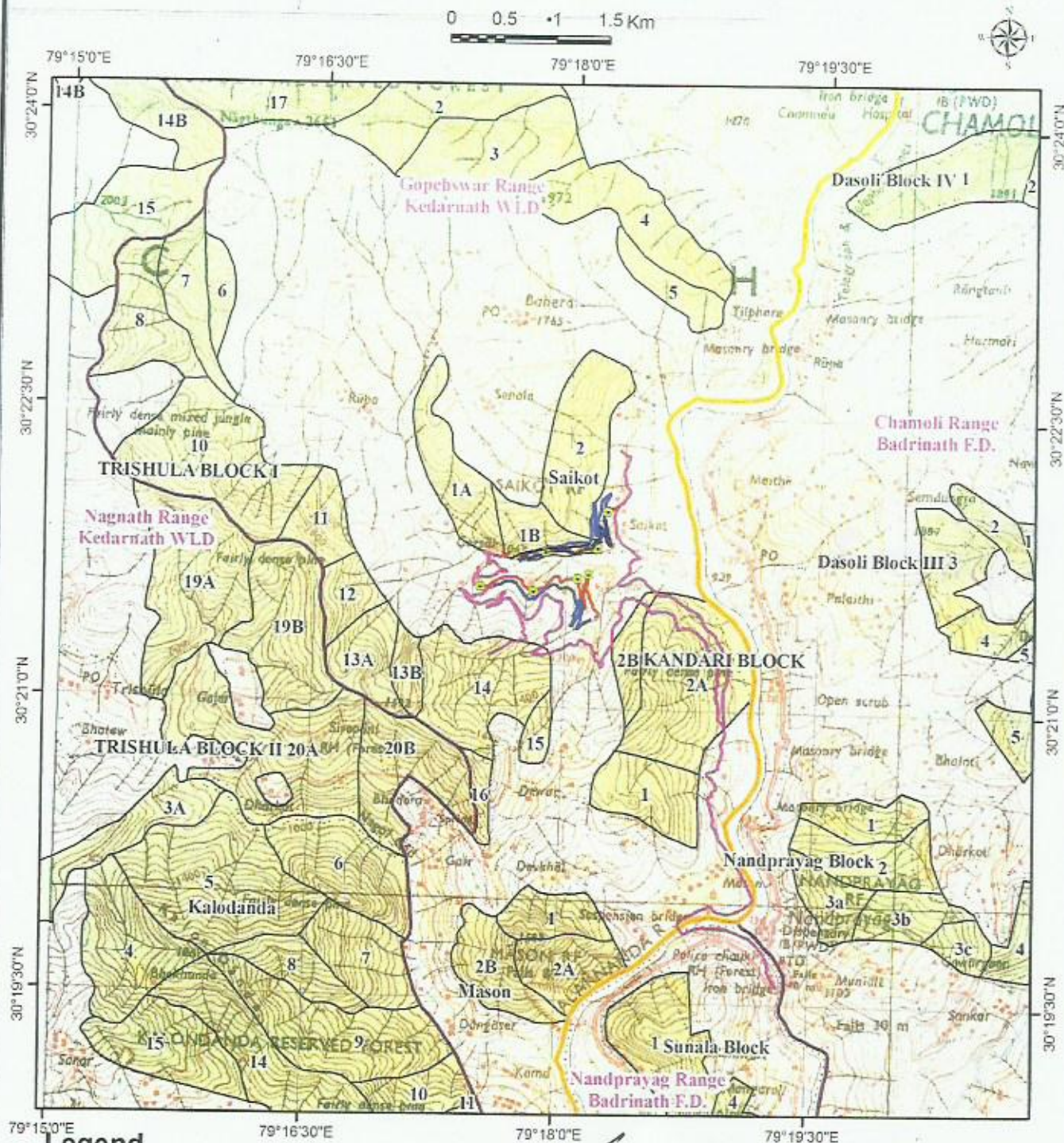
(बीएस0नेमी)

वन दरोगा

पीपलकोटरी रेंज गोपेश्वर

(Handwritten signature)
वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल – सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी 0+ 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)



Legend

-  Muck Disposal
 Proposed Road
 Alternate Road
 Existing Road
 Reserve Forest Area
 Reserve Forest Boundary
 Forest Range Boundary
 Forest Division Boundary

अधिकांश अधिवक्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपबंद

जिलाधिकारी
चमोली

श्री लक्ष्मी
 गोपेश्वर रंज
 कंदारनाथ बंन्य जीव प्रमाण

उप वन संरक्षक
नेपालगंज वन्य जीव प्रभाग

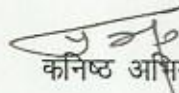
अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

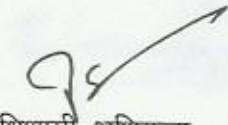
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवित्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

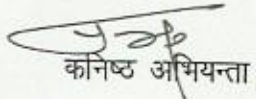
न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

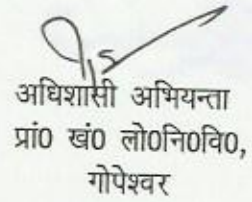
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

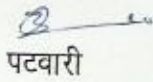
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।


 अमोल

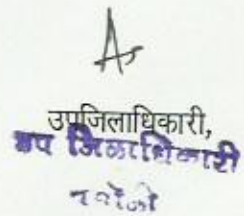

 कनिष्ठ अभियन्ता

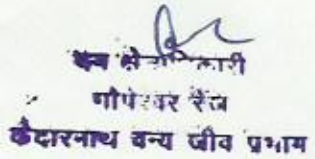

 सहायक अभियन्ता


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रां० खं० लो०नि०वि०,
 गोपेश्वर


 पटवारी


 तहसीलदार


 उपजिलाधिकारी,
 जय जिलाधिकारी
 नवलपरासी


 केशव जिलाधिकारी
 गोपेश्वर रेंज
 केशवनाथ वन्य जीव प्रभाग

लेण्ड शे इशला (वन विभाग)

कौन का नाम :-

राज्य योजनांगीत जनपद चमोली के विकास खास
दशोली में बुझसाल से खोचोट मोटर मार्ग निर्माण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

[illegible]

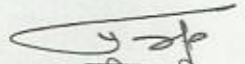
श्री लक्ष्मीनारायण
गोपेश्वर रंज
कदारनाथ दत्त जीव प्रसाद

लैण्ड शैडयूल (सिविल)

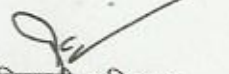
कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

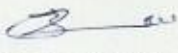
जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	6	8.816	1.855
		योग :-	6	8.816	1.855


अमोल


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उपराजस्व निरीक्षक


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी
चमोली

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

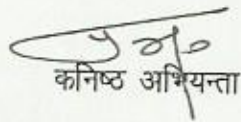
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 0.35 हे० नाप, 0.70 हे० सिविल एवं 0.072 हे० मक डिस्पोजल हेतु वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

500 मी० x 7 मी० = 3500 वर्ग मी०	-	0.35 हे० नाप वनभूमि
1000 मी० x 7 मी० = 7000 वर्ग मी०	-	0.70 हे० सिविल वनभूमि
2x(60 मी० x 6 मी०) = 720 वर्ग मी०	-	0.072 हे० सिविल वनभूमि (मक डिस्पोजल)



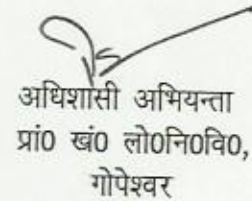
अमीन



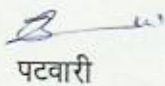
कनिष्ठ अभियन्ता



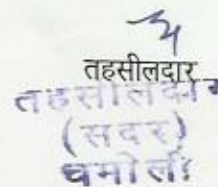
सहायक अभियन्ता



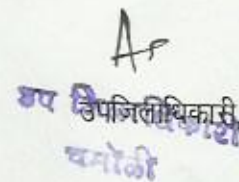
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर



पटवारी



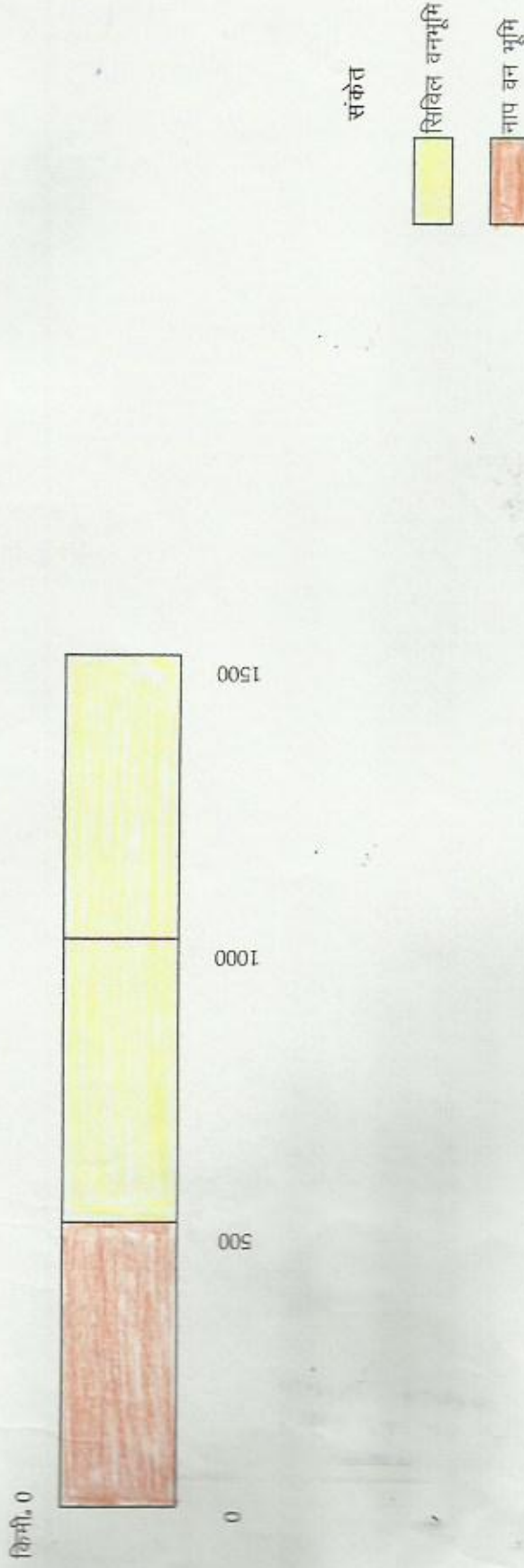
तहसीलदार
(सदर)
चमोली



अधिशाली अभियन्ता
चमोली

बार चार्ट

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

अमीन

कर्मचारी
गोपेश्वर रैल
कंधारनाथ वन जीव प्रणाल

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्राक्कलन

1- परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- ~~सैकोट~~ घुड़साल

3- क्षेत्रफल :- 0.70 है० (0.70 X 2)

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 830

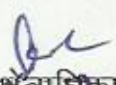
5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:-

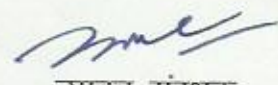
क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	0	Hec	78.00	0.00
2	स्थल की सफाई कार्य	0	Hec	2543.00	0.00
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.)	0.000	Hec	15309.00	0.00
4	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेंखाकन चूना सहित	830	No	5.42	4498.60
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम/गढढा	185.50	Kg	19.00	3524.50
6	पौधों की कीमत	830	No	4.30	3569.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य के आधार पर मानते हुए				
	1 वानस्पतिक - 8X 4580 = 36700.00				
	2 स्टोन चैकडैम 5X 5140 = 25700.00				
	योग :- 62400.00	0.000	hect	6240.00	0.00
8	निरीक्षण बटिया	0.000	Hect	624.00	0.00
	योग प्रथम चरण:-				11592.10
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	झाड़ी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.00	Hect	1287	0.00
2	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	830	No	0.97	805.10
3	पौध दुलान कार्य	830	No	6	4980.00
4	पौध रोपण कार्य	830	No	1.89	1568.70
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	830	No	1.29	1070.70
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	830	No	1.11	921.30
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	830	No	1.2	996.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	0.000	Hect	468	0.00
9	साईन बोर्ड आदि कय				5000.00
	योग द्वितीय चरण:-				15341.80

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
3	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति हे०				
1	पौधे की लागत	83	podhe	5.50	456.50
2	पौधा ढुलान कार्य	83	podhe	6.00	498.00
3	पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	83	podhe	3.20	265.60
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	83	podhe	1.33	110.39
5	पौधों की शीतकालीन मल्विन	83	podhe	1.11	92.13
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.00	Hect	468.00	0.00
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग:—				1922.62
	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग चतुर्थ चरण:—				4431.20
	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग पंचम चरण:—				4431.20
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग षष्ठम चरण:—				4431.20
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग सप्तम चरण:—				4431.20
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
	योग अष्टम चरण:-				4431.20
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग नवम चरण:-				4431.20
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.7	Hect.	468.00	3931.20
2	अग्नी सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.		500.00
	योग दसम चरण:-				4431.20
	प्रथम				11592.10
	द्वितीय				15341.80
	तृतीय				1922.62
	चतुर्थ				4431.20
	पंचम				4431.20
	षष्ठम				4431.20
	सप्तम				4431.20
	अष्टम				4431.20
	नवम				4431.20
	दसम				4431.20
	महायोग:-				59874.92

Say .. Rs. 0.60 Lac

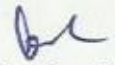

 बन्धन क्षेत्राधिकारी
 गांधी नगर राज
 केंदरनाथ दन्य जीव प्रभाव


 उपवन संरक्षक
 उपवन संरक्षक
 केंदरनाथ दन्य जीव प्रभाव
 मोपेक्षर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गौणा में 0.70 हेक्टेयर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

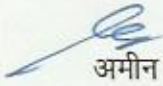

वन्यक्षेत्राधिकारी
गाँव नं. २२
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

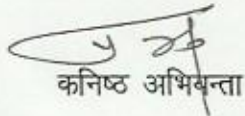

उपवन संरक्षक
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

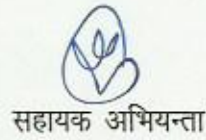
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

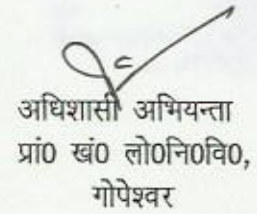
दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.70 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 0.70 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

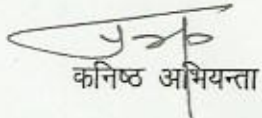

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

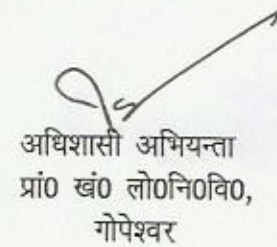
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

81

कार्य का नाम :- जनपद बमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग	1.50	पौधे का मूल्य - 100 पौधे रोपण कार्य, ग्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	0.60	0.90


वन क्षेत्राधिकारी
भोपेश्वर रंज
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉल्वित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar


अधिशारी अभियन्ता
प्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

पेडों की सूची

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजनान्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्र० सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेडों की प्रजाति	पेडों की संख्या	पेडों की उम्र या व्यास से०मी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	पेडों का वानस्पतिक नाम	विवरण
					काबिल	नकाबिल				
1	घुडसाल/सैकोट	शीमल	16	10-20			85.00	1360.00	ANDROMEDA	
2	तुन		01	20-30			170.00	170.00		
3	खडीक		01	30-40			3519.00	3519.00		
			02	10-20			53.00	53.00	ANDROMEDA	
4	तिमला		02	20-30			170.00	340.00		
			06	10-20			170.00	340.00		
5	आम		02	20-30			85.00	510.00	ANDROMEDA	
			01	30-40			170.00	340.00		
			02	90 Over			3540.00	3540.00		
6	सीरस		01	20-30			25917.00	51934.00		
7	कठमल		01	20-30			170.00	170.00		
8	गैठी		01	20-30			170.00	170.00		
9	चीड		11	10-20			170.00	170.00		
			25	20-30			254.00	2794.00		
			09	30-40			636.00	15900.00		
			01	60-70			2470.00	22230.00		
योग:-			83				13992.00	13992.00		
								117532.00		

अमीन

कनिष्ठ अभियंता

सहायक अभियंता

आयशासी अभियंता
प्रा०ख०लो०नि०वि
गोपेश्वर

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

उपनिर्वाहिकारी

पेडों की सूची

य का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजनान्तर्गत घुडसाल -सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेडों की प्रजाति	पेडों की संख्या	पेडों की उम्र या व्यास सेमी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	पेडों का वानस्पतिक नाम	विवरण
				काबिल	नकाबिल				
डसाल/सैकोट	भीमल	16	10-20			176.00	2816.00		
		01	20-30			528.00	528.00		
न		01	30-40			720.00	720.00		
डीक		01	0-10			44.00	44.00		
		02	10-20			74.00	148.00		
		02	20-30			81.00	162.00		
मला		06	10-20			74.00	444.00		
		02	20-30			81.00	162.00		
म		01	30-40			161.00	161.00		
		02	90 Over			1100.00	2200.00		
रस		01	20-30			81.00	81.00		
उमल		01	20-30			84.00	84.00		
ग्री		01	20-30			84.00	84.00		
ड		11	10-20			176.00	1936.00		
		25	20-30			528.00	13200.00		
		09	30-40			2006.00	18054.00		
		01	60-70			12884.00	12884.00		
मग:-		83					53708.00		

कनिष्ठ अभियंता

सहायक अभियंता

अधिसूची अभियंता
प्रा०ख०लो०नि०वि
गोपेश्वर

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

गरी

प्रभागीय वनाधिकारी

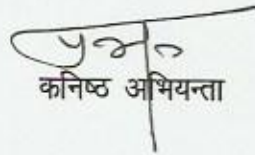
अप जिलाधिकारी
चमोली

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

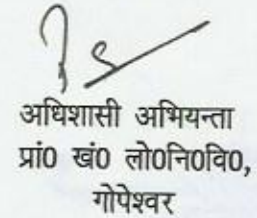
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन

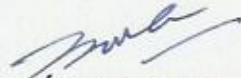

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग
निर्माण हेतु मलवा निस्तारण योजना।

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग में अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, गोपेश्वर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन
किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।



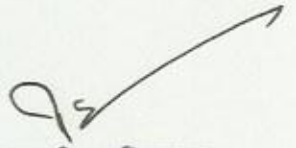
(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

- 1- Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector. Length 1.50 Km
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II


ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar


अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Annexure -I

Name of Work :-

Construction of Ghurshal to Saikot motor road. Under State Sector.
Length 1.50 Km

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity						
		(1x1/2x3000x7x3)x80%				25200.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				10080.00	Cum
			Total Muck -			35280.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS							
1	R.R. stone masonry 1:6	1x140	15.00	(0.60+1.5)/2	4.00	4410.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x140	20.00	(0.60+1.5)/2	4.00	5880.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x140x1/3	20.00	(1+1.2)/2	2.50	1750.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x100	3.00	1.50	2.00	900.00	Cum
5	C/O parapets	1x175	3.00	0.60	0.45	141.75	Cum
6	Granular sub base/base/surface	1x1	1500.00	3.75	0.10	19687.50	Cum
			Total Used Materials :-			32769.25	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					2510.75	Cum
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL							
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard	Unit		
1	X.S. 0/10	60x6x3.50	Civil	1260.00	cum		
2	X.S. 1/15	60x6x3.50	Naap	1260.00			
			Total-	2520.00	Cum		
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL							
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries		
1	35280.00	2510.75	32769.25	2510.75	0.00		

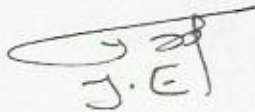
ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
D. Ghurshal

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग

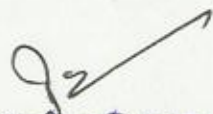
Annexure -II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1	X.S. 0/10	Uttarakhand Govt. Land	0.028	1190.00	360.00	79°17'40.95" E	30°20'12.83" N
			0.028				
2	X.S. 1/6	Uttarakhand Govt. Land	0.091	910.00	360.00	79°18'14.62" E	30°20'14.40" N
			0.091				
		Grand Totla-	0.119	2100.00	720.000		
				or	0.072	Hec.	


J.E.


ASSISTANT ENGINEER (H)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar


अधिशासी अधियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन

वृक्षारोपण स्थल का नाम— मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं. (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौधे) = 144

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	यूनिट	दर रु में	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.072	hect	78.00	5.62
2	स्थल सफाई कार्य	0.072	hect	2543.00	183.10
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.	0.072	hect	15309.00	1102.25
4	गडढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	144.00	Gaddha	5.420	780.48
5	डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गद्दा)	3.60	kg	19.00	68.40
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु प्रति हे.)	0.07	hect	624.00	44.93
7	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	144.00	podhe	4.30	619.20
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए				0.00
	1 वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 * 4588 = 36700.00				0.00
	2 वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 X 2.50X1.00) 5X 5140 = 25700.00				0.00
	योग = 62400.00	0.072	hect	62400.00	4492.80
	योग प्रथम चरण—				7296.77

द्वितीय चरण—

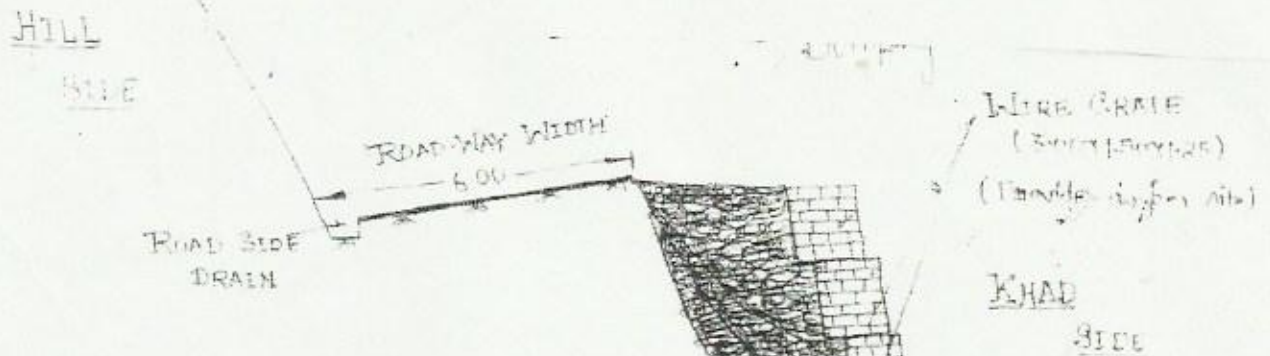
1	झाडी कटान (लेन्टाना गाजर घास/ काला बांस)	0.072	hect	1287.00	92.66
2	गडढा भरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	144.000	Gaddha	0.97	139.68
3	पौधा दुलान कार्य	144.000	podhe	6.00	864.00
4	पौधा रोपण व थाला बन्दी	144.000	podhe	1.89	272.16
5	पौधे की प्रथम निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	144.000	podhe	1.29	185.76
6	पौधे की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	144.000	podhe	1.11	159.84
7	पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष	144.000	podhe	1.20	172.80
8	प्रथम वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.072	hect	468/hect/month	303.26
9	अन्य कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग द्वितीय चरण—				2212.49

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.

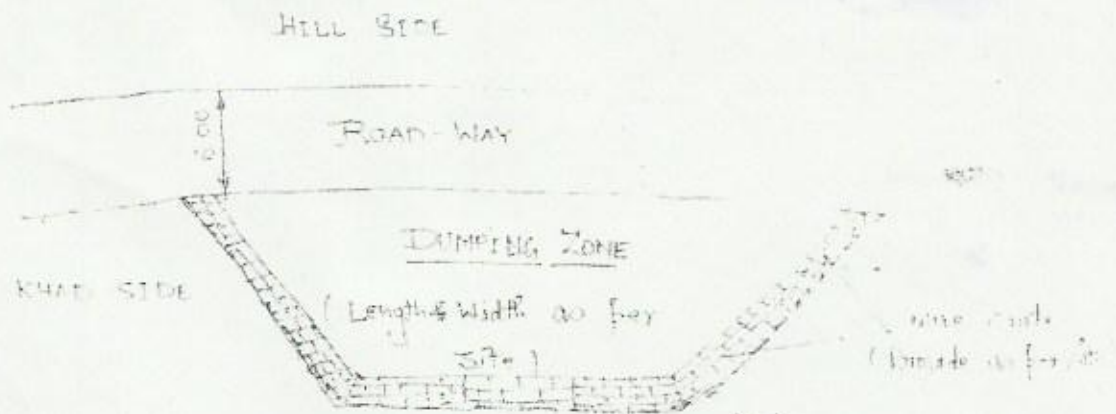
1	पौधे की लागत	144.00	podhe	5.50	792.00
2	पौधा दुलान कार्य	144.00	podhe	6.00	864.00
3	पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	144.00	podhe	3.20	460.80
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	144.00	podhe	1.31	188.64
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	144.00	podhe	1.11	159.84
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/month	404.35
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग तृतीय चरण				2891.95

चतुर्थ चरण (रखरखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग चतुर्थ चरण				426.67
पंचम चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग पंचम चरण				426.67
छठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग छठवा चरण				426.67
सातवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग सातवा चरण				426.67
आठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग आठवा चरण				426.67
नौवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग नौवा चरण				426.67
दसवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.072	hect	468/hect/ month	404.35
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.072	hect	310.00	22.32
	योग दसवा चरण				426.67
कुल धनराशि					7296.77
					2212.49
					2891.95
					426.67
					426.67
					426.67
					426.67
					426.67
					426.67
					426.67
					15387.91
					say 15388.00



TYPICAL X-SECTION



J.K.
J.C.

AE
अभिषेक अभियन्ता
ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

अभिषेक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

कार्य का नाम - जनपद-चमोली के विकास खण्ड दशौली में छुड़साल से सैमोह जोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

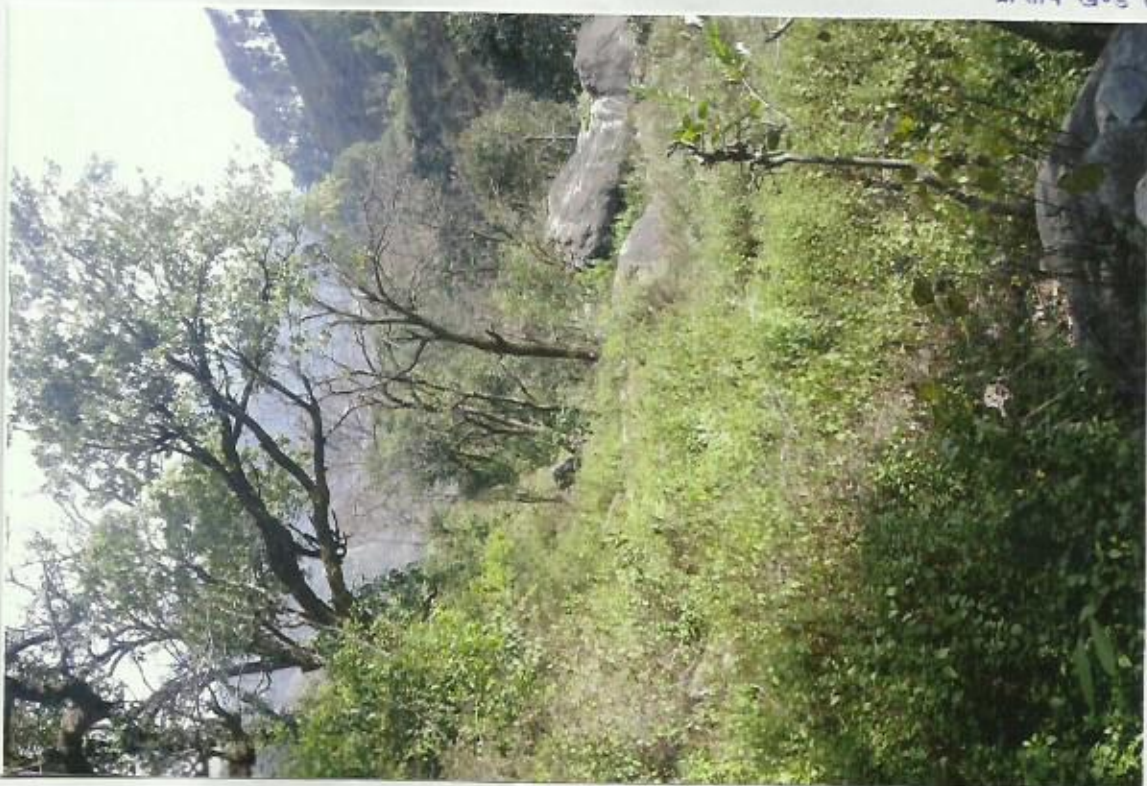
(48)



यु.क.
JE


ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

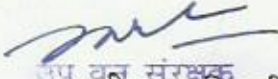


परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी 8.500. किमी० है।

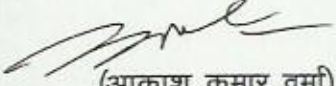

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण
गोपेश्वर

प्रारूप -25

परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुडसाल- सैकोट मोटर मार्ग निर्माण।

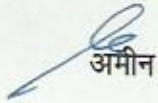
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित सड़क योजना की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से समीपस्थ हवाई दूरी लगभग 8.500 कि०मी० (आठ किमी० पाँच सौ मीटर मात्र) है।

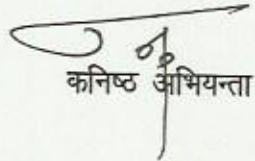

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

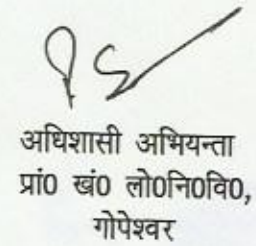
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

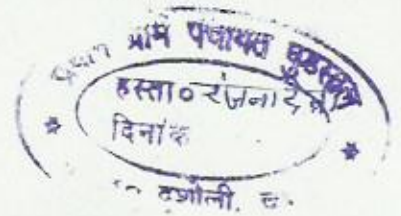
अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

प्रधान

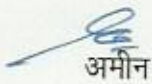


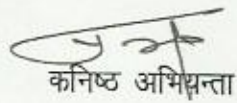
कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

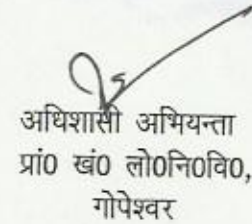
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
उद्धारमय्य वन्य जीव प्रभाग

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स, चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार),
गोपेश्वर।

सेवा में,
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक: 683/जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14, दिनांक 11 मार्च, 2014

विषय: जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग (3.25 कि0मी0- 8.00 कि0मी0 तक) समरेखण व 36 मीटर स्पान स्टील गार्डर पुल निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,
उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2670/1 सी0, दिनांक 11.10.2013, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता
खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

भूवैज्ञानिक।

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग
(3.25 कि०मी०- 8.00 कि०मी० तक) समरेखण व 36 मीटर स्पान स्टील गार्डर पुल निर्माण
हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

(10)

अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 2670/1 सी०, दिनांक 11.10.2013, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग (3.25 कि०मी०-8.00 कि०मी० तक) समरेखण व 36 मीटर स्पान स्टील गार्डर पुल निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मदन मोहन जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रदीप नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री धूम सिंह, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की उपस्थिति में भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण के प्रारम्भ में 36 मीटर स्पान के स्टील गार्डर पुल, घुड़साल नाले पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त पुल निर्माण से मोटर मार्ग समरेखण को सैकोट तक निर्मित किया जाएगा। पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के दोनों तटों जिसमें बायें तट पर स्वस्थानें चट्टानें अवस्थित व दायें तट पर मृदा के साथ चट्टानों के फ्रेगमेन्ट्स व बोल्डर्स, मृदा के साथ मिश्रित अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाले के प्रवाह की दिशा उत्तर 120° है। स्थल के समीपवर्ती भूभाग में अवस्थित चट्टानों की प्रसार व नति उत्तर $60^{\circ}/55^{\circ}$ उत्तरपश्चिम है जो कि नाले के बायें तट/फलैंक पर आधार हेतु उपयुक्त है। उक्त चट्टानें क्वार्ट्जिटिक प्रकृति के साथ ही हाईली ज्वाइंटेड हैं जो कि हल्के सफेद व हल्के हरे रंग के साथ विद्यमान हैं।

प्रस्तावित स्टील गार्डर पुल के नाले का उत्तरवर्ती/बायां एबटमेन्ट दृढ़ कठोर, स्वस्थानें चट्टानीयुक्त भूभाग है। एबटमेन्ट के नाले तल का ऊपरी भूभाग कुछ दूरी पर चट्टानी व नाले तल पर अनकन्सॉलिडेटेड मिश्रित सेडिमेन्ट्स से निर्मित है। स्थल पर हल्की सफेद व हरी रंग की महीन से मध्यम कणोंयुक्त, पतली मध्यम मोटाई की क्वार्ट्जिटिक चट्टानें हैं। एबटमेन्ट के पहाड़ी ढाल तलहटी सतहों पर नाला मटिरियल की गहरी परत अवस्थित है जो कि पूर्णतः अनकन्सॉलिडेटेड सेडिमेन्ट के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है तथा स्थल, वृक्षविहीन, झाड़ियों व स्थानीय घासयुक्त क्षेत्र है।

पुल निर्माण हेतु नाले का दायां/दक्षिणवर्ती एबटमेन्ट स्थल अनकन्सॉलिडेटेड चट्टानों के ब्लॉक्स/बोल्डर्स के मिश्रित मलवे से निर्मित क्षेत्र है जिसकी सतह पर स्वस्थानें चट्टानें वर्तमान समय में दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। उत्तर फेसिंग पहाड़ी ढाल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग $60^{\circ}-70^{\circ}$ उत्तर है तथा स्थल पर स्वस्थानें चट्टानों का पूर्ण अभाव दृष्टिगोचर होता है।

ASSISTANT ENGINEER
Provincial Division B&D
Gopeshwar

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 स्टोन से घुड़साल तक लगभग 3.25 कि०मी० पूर्व निर्मित मोटर मार्ग है, से आगे मोटर मार्ग निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण की कुल लम्बाई

सत्य प्रतिकृति

लगभग 4.75 कि०मी० प्रस्तावित की गयी है। मोटर मार्ग समरेखण का कुछ भूभाग घुड़साल नाले के बायें तट पर निर्मित किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण लगभग दो फेसिंग पहाड़ी ढालों पर निर्मित किया जाना है जिसमें दक्षिण फेसिंग व उत्तरपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर समरेखण गुजारा जाएगा। उक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण में सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 35° – 40° के मध्य अवस्थित है जो कि कतिपय स्थलों पर इससे अधिक व कम पहाड़ी ढालयुक्त क्षेत्रों से गुजारा जाना है। मोटर मार्ग समरेखण में लगभग 500 मीटर पहाड़ी ढालयुक्त क्षेत्र अवस्थित है व अन्य भूभाग में सीढ़ीनुमा भूआकृति के साथ मोटर मार्ग समरेखण गुजारा जाएगा।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल में मृदा का रंग भूरे प्रकृति का दृष्टिगोचर हो रहा है। समरेखण में स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियों व वृक्ष आदि वर्तमान समय में विद्यमान हैं। उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निचले भूभाग पर प्रवाहित नाला वर्षाकाल के दौरान तीव्र जल प्रवाह के साथ पहाड़ी ढाल के तट पर कटाव कर सकता है।

मोटर मार्ग समरेखण स्थल को भूगर्भीय साहित्य में लेसर हिमालय के गढ़वाल समूह की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें क्वार्ट्जिटिक, शिष्टोज क्वार्ट्जाइट, फिलिटिक व फिलाईट प्रकृति की चट्टानें मोटर मार्ग समरेखण में अवस्थित हैं। मोटर मार्ग समरेखण में चट्टानों की प्रसार व नति उत्तर 60° / 55° उत्तरपश्चिम अवस्थित है। चट्टानों की प्रसार व नति मोटर मार्ग समरेखण में कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के विपरीत, कतिपय स्थलों पर ऑबलिक व कतिपय पहाड़ी ढाल के समान्तर विद्यमान है। स्थल पर मोटर मार्ग समरेखण कटाव इस प्रकार किया जाय कि स्थल का वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज कम से कम परिवर्तित हो साथ ही जहाँ तक सम्भव हो मोटर मार्ग कटाव में ब्लास्टिंग का उपयोग न्यून किया जाय। समरेखण में कतिपय स्थल, मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं अतः स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित लॉजिकल सिद्धान्तों का पालन किया जाय। मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र ही ब्रेस्टवाल व रिटेनिंग वाल का निर्माण किया जाय जिससे अपस्लोप व डाउनस्लोप के एंगिल ऑफ रिपोज को पुनः संरक्षित किया जा सके।

विचारणीय बिन्दु :

1. चूंकि मोटर मार्ग समरेखण स्थल भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल प्रभावित हो सकता है। साथ ही मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् स्थल के अपस्लोप व डाउनस्लोप के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।
2. स्थल पर पुल निर्माण से पूर्व नाले के अधिकतम बाढ़ सतह का आंकलन कर उससे अधिक ऊँचाई तथा उसमें सेफ्टी फेक्टर्स का समाकलन कर ही, पर्याप्त ऊँचाई में पुल निर्मित कार्य किया जाय।

समाप्ति एवं शर्तें :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण

प्राविधानों एवं समय-समय पर अन्य नियमों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. अनकन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों में मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेस्टवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का निर्माण किया जाय।
3. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् टो सपोर्ट वाल का निर्माण किया जाय ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मंदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।
4. मोटर मार्ग को शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा में पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
5. सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण में मृदा व हिलस्लोप डेबरी को फैलने/बहने से रोकने के लिए मजबूत ब्रेस्टवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण किया जाय।
6. रिटेनिंग वाल एवं ब्रेस्टवाल का आधार पर्याप्त गहराई तक दृढ़, कठोर व कॉम्प्रीटेन्ट ताजा (फ्रेश) स्वस्थानें चट्टानों में रखा जाय।
7. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भिन्न-भिन्न स्थलों पर बनायी जाने वाली सुरक्षा दीवारों का निर्माण स्थल की चट्टानों, मृदा की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जाय।
8. यथासम्भव कट एण्ड फिल का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मलवे को उचित स्थल पर एकत्रित कर समुचित आकार स्थायित्व हेतु प्रदान करना उचित होगा।
9. मोटर मार्ग समरेखण स्थल का मलवा पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/इकट्ठा किया जाय तथा मड फ्लो से बचने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जाय।
10. मोटर मार्ग समरेखण में विस्फोटकों का कम से कम प्रयोग हो ताकि अधोभूमि चट्टानी सन्धियों व फ्रैक्चर्स चौड़े न होकर जल रिसाव से भूस्खलन/भूधसांव की सम्भावना को कम कर सके।
11. मोटर मार्ग समरेखण में तीव्र पहाड़ी ढालों पर मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने से पूर्व स्थल के एंगिल ऑफ रिपोज का आकलन किया जाना उचित होगा जिससे भूस्खलन व भूधसांव क्षेत्रों को न्यून किया जा सके।
12. स्थल पर पुल, नाले के अधिकतम बाढ़ सतह के पर्याप्त ऊपर सेफ्टी फेक्टर्स के समाकलन के उपरान्त निर्मित किया जाय।
13. पुल के दोनों एबटमेन्ट्स के अप व डाउन स्ट्रीम तटों को सी0सी0 ब्लॉक्स/सुरक्षा धारक दीवार से ट्रीट कर नाले के लेटरल व डाउनवर्ड कटिंग को न्यून किया जाय।
14. एबटमेन्ट व सी0सी0 प्लम ब्लॉक्स का आधार नाले के बेस लेवल ऑफ इरोजन से नीचे अथवा ताजा दृढ़ स्वस्थानें चट्टानों में रखना आवश्यक होगा।

सत्य प्रतिनिधि



सत्य प्रतिनिधि



सत्य प्रतिनिधि

15. पुल के दायें/उत्तरपश्चिमी तट पर मिश्रित अन्कन्सॉलिडेटेड डेबरी को सीढ़ीनुमा अथवा मजबूत रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल से ट्रीट करना आवश्यक होगा अन्यथा डेबरी खिसककर पुल व मार्ग को बाधित हो सकता है।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं, सुझाव व सुरक्षा उपायों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

समस्त प्रतिलिपि



ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

समस्त प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
खण्ड लो 10 कि
कोयल

(अमित गौरव)

सहायक भूवैज्ञानिक

पुल के दायें/उत्तरपश्चिमी तट पर मिश्रित अन्कन्सॉलिडेटेड डेबरी को सीढ़ीनुमा अथवा मजबूत रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल से ट्रीट कर खिसककर पुल व मार्ग को बाधित हो सकता है।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं, सुझाव व सुरक्षा उपायों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

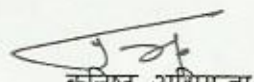
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमोल


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

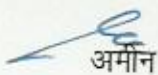
मानक शर्तें

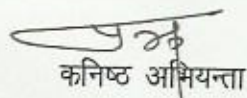
(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगा, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिंगमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

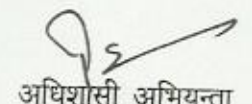
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।
13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अम्रिन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

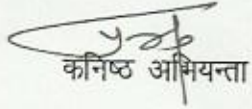
भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

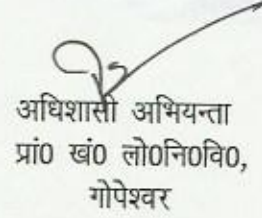
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

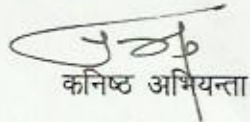
मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

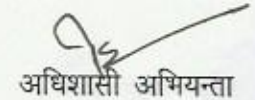
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में पडने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते हैं।

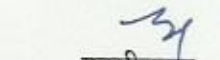

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली

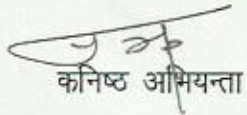

उपजिलाधिकारी,
अप जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

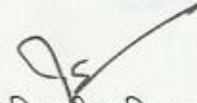
वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

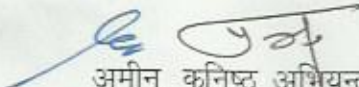

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

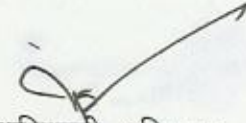
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

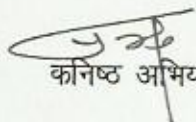
लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

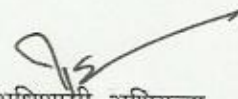
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	सैकोट	45	450
	योग :-	45	450


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

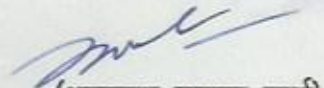

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली में घुडसाल से
सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या
5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि
हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नांनुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व.....0.5
- 3-एन0पी0वी0 की दर9,39,000
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.772
- 5-कुल देय एन0पी0वी0.....रु0 7,21,908


(आकाश कुमार वर्मा)

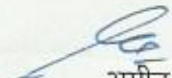
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

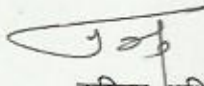
एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

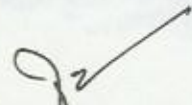
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन. पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बड़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

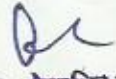

सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

सीमांकन प्राक्कलन

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग	आर0सी0आर0 पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी	1.50		


वन क्षेत्र अधिकारी
नोपेश्वर राय
सहायक वन्य जीव अधिकारी

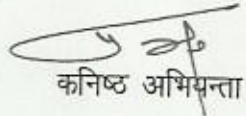
गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

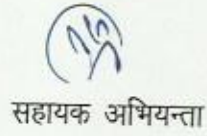
परियोजना का नाम :-

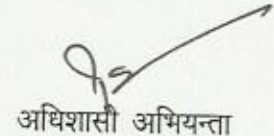
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

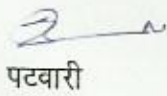
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.70 हे० सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवन्त वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

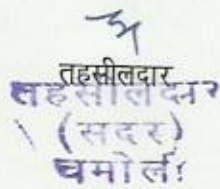

अमीन

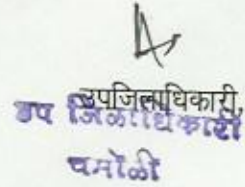

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिल्पाधिकारी
चमोली

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	-
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	0.700
वन पंचायत वन भूमि -	
निजी भूमि -	0.350
योग -	1.050
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रां.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हां/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हां/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हां/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हां/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हां/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हां/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हां/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हां/नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) -
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - (5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हां/नहीं
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं - हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा गये जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

- (1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- (2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों मानचित्र संलग्न है।
- (3) परियोजना की लागत रु0 103.16 लाख
- (4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ घुड़साल, सैकोट को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।
- (5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)
- (6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण 0.70 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।
- 3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -
- (1) परिवारों की संख्या लागू नहीं है।
- (2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या
- (3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
- 4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं) नहीं (मार्ग कच्चा है)
- 5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) संलग्न है।
- 6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा - विषय सूची के अनुसार।

तिथि - 9.3.15

स्थान - गोपेश्वर

(वीरेन्द्र जौहरी)

अधिशारी अभियन्ता

प्रा.खं. लो.नि.वि.,

गोपेश्वर

प्रस्ताव की क्रम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जायें

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, एजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

घुड़साल-सैकोट

उत्तराखण्ड

चमोली

कंदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सिविल वन भूमि

सूची संलग्न है।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

नहीं

नहीं

प्रांकलन संलग्न

मानचित्र पर उल्लिखित है

संलग्न है

संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय

संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न है

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न है

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र -

803000 हे०

(2) जिले का वन क्षेत्र -

514792 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

766.26 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर


जिला प्रशासक
गोपेश्वर रेंज
संरक्षक वन्य जीव प्रभाग

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

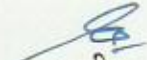
सरकारी मोहर

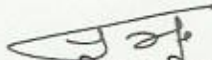
वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

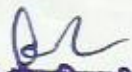

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उप जिलाधिकारी
चमोली


उप जिलाधिकारी
गोपेश्वर
केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य

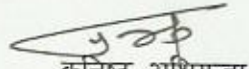
शर्त सहमति प्रमाण पत्र

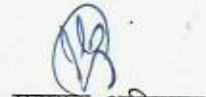
परियोजना का नाम :-

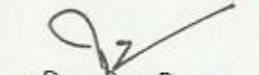
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

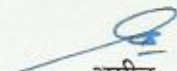

अधिशस्ती अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

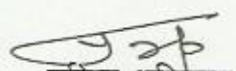
भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

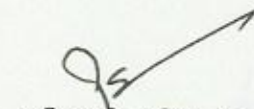
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

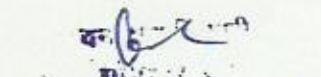
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

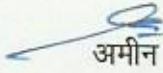

क. डी. शर्मा
सहायक वन्य जीव प्रशासक

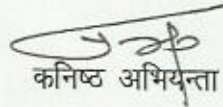
योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

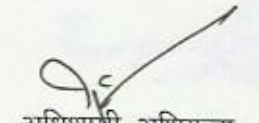
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

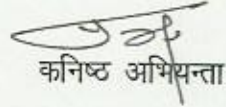
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

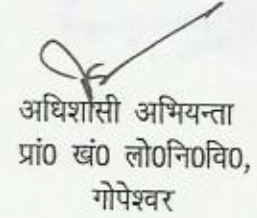
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

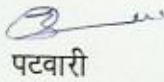
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.70 हे० सिविल एवं 0.072 हे० मक डिस्पोजल हेतु सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ 56000.00 प्रति नाली की दर से कुल ₹ 20,72000.00 निर्धारित है।

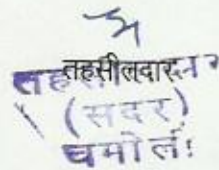

अमीन

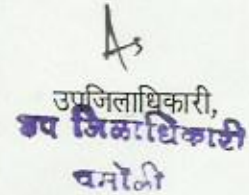

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोसी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली

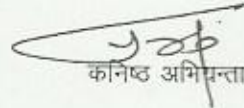

उपजिलाधिकारी,
अप जिलाधिकारी
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

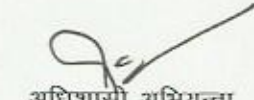
कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-500	500	0.350	--	--	--
500-1500	1000	--	0.700	--	--
Total -	1500	0.350	0.700		


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किरम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम सैकोट सिविल						
	2791 म०	5.560	44	उत्तराखण्ड सरकार	0.300	झाड़ी	
	2892 म०	0.240	40	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
	2893 म०	0.780	40	उत्तराखण्ड सरकार	0.100	बंजर	
	2894 म०	0.400	40	उत्तराखण्ड सरकार	0.020	बंजर	
	2912 म०	0.211	40	उत्तराखण्ड सरकार	0.020	बंजर	
	2953 म०	1.625	28	उत्तराखण्ड सरकार	0.210	बंजर	
		8.816		योग :-	0.700		

पटवारी

अमोन

तहसीलदार

कनिष्ठ अभियन्ता

उप निदेशिका

उप निदेशिका

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

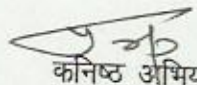
वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

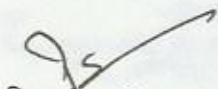
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

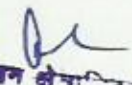
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.70 हे० सिविल एवं 0.072 हे० मक डिस्पोजल की वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


गोपेश्वर राज
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।



सहायक अभियन्ता

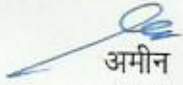
अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

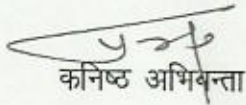
स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

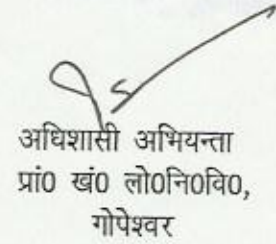
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

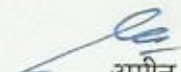

सहायक अभियन्ता

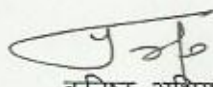

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

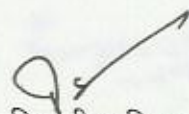
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.70 हे० सिविल एवं 0.072 हे० मक डिस्पोजल हेतु वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्ती अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

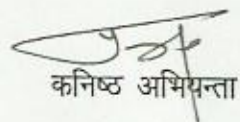
चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

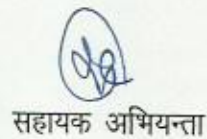
परियोजना का नाम :-

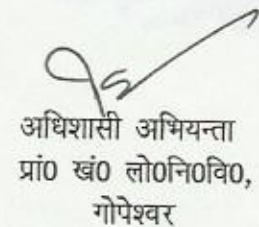
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

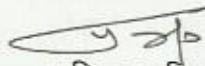
परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

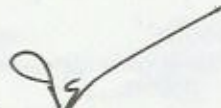
प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

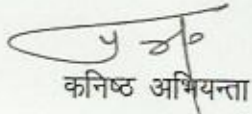

अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

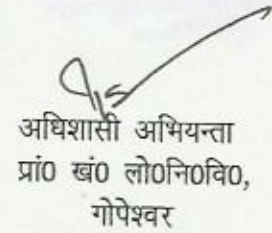
वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

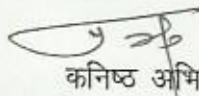

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

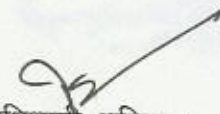
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

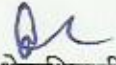

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

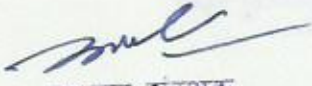
परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत घुड़साल से सैकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु में 0.70 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

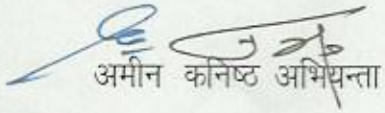

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रंजित
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग


उपवन संरक्षक
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

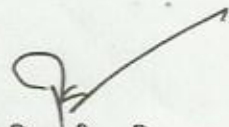
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

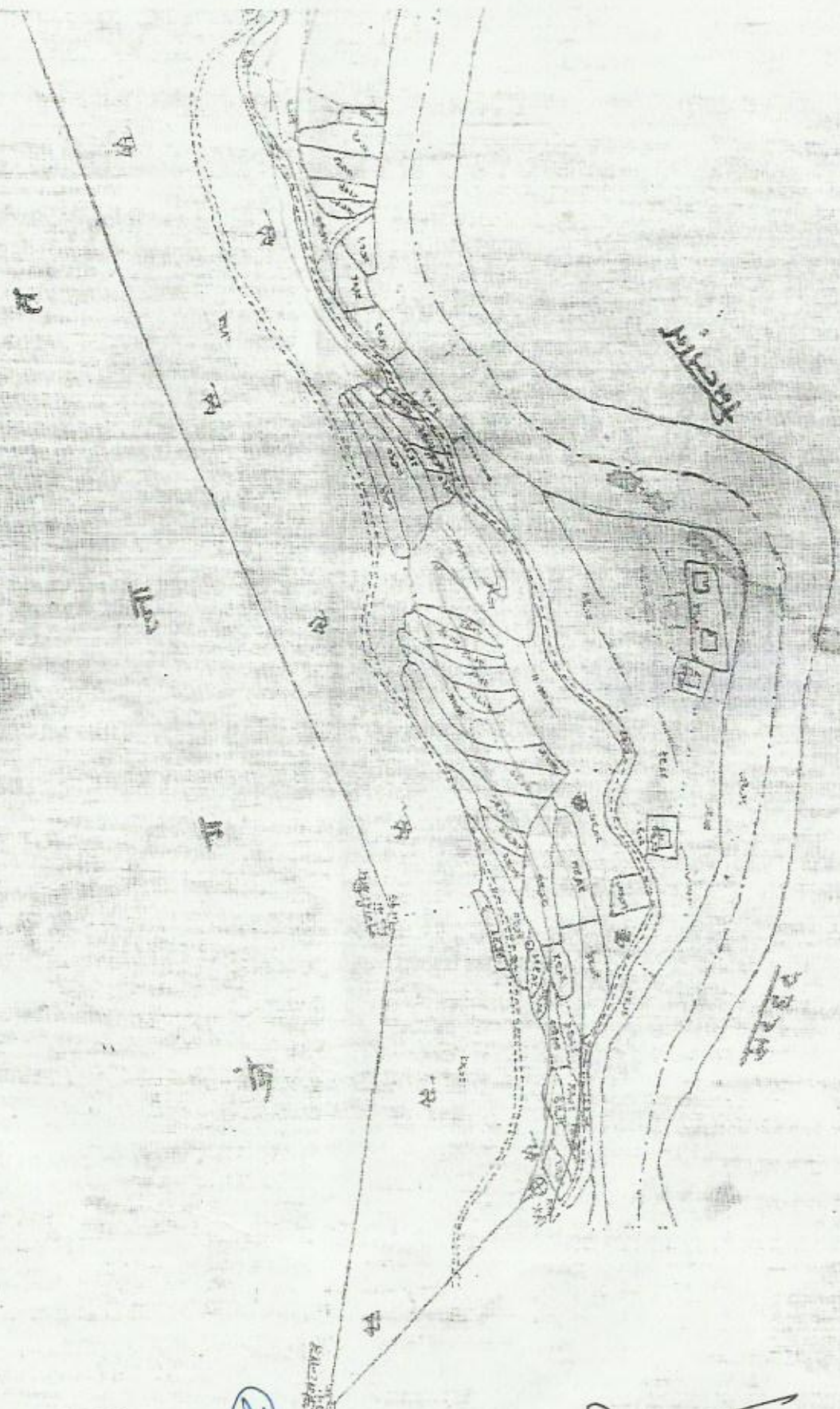
क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
	सम्पूर्ण योग :-		0.70 हेक्टेयर


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

7



अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

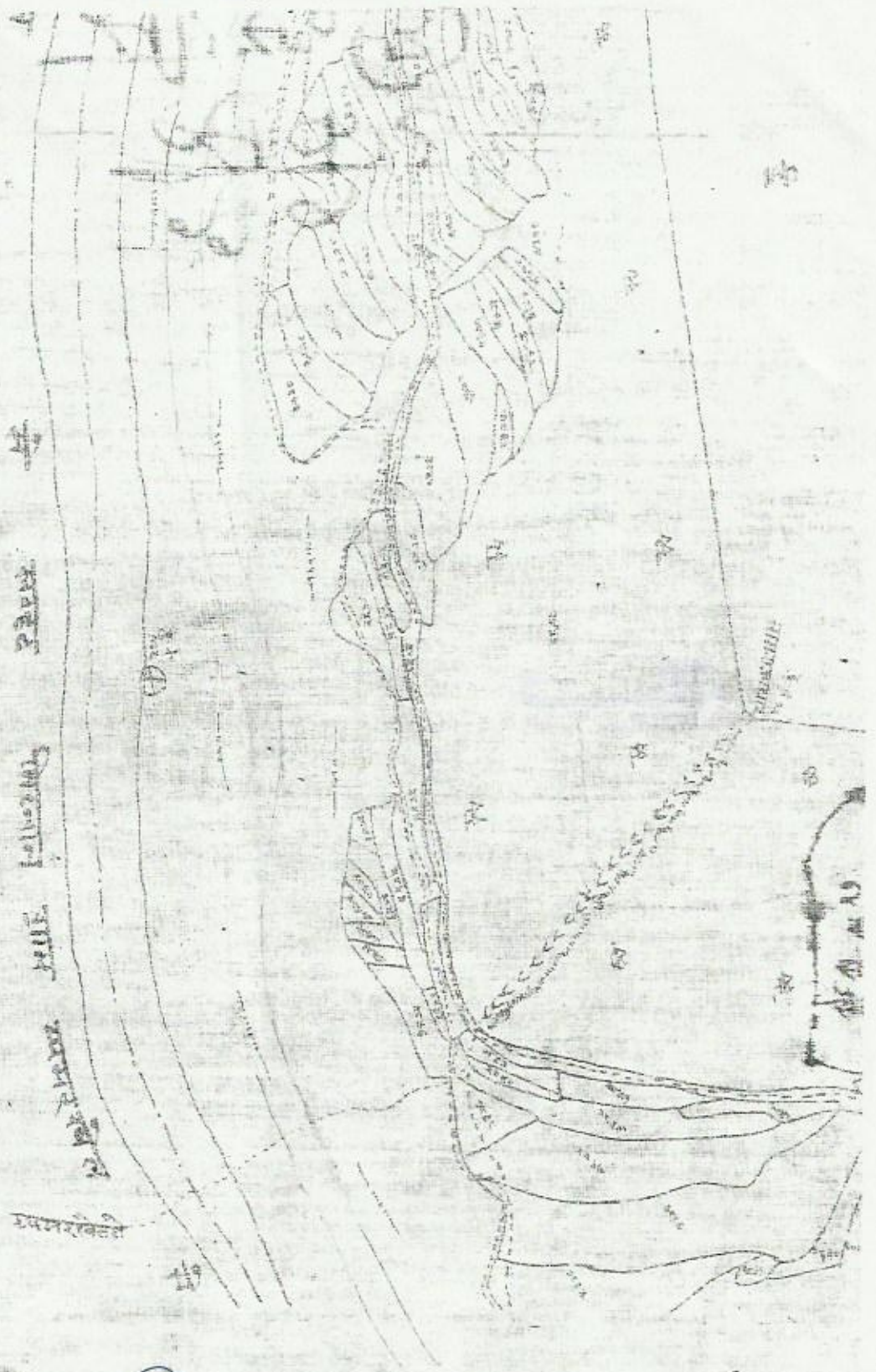
सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद घमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 75

उद्देश्य: जनपद घमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार

सहायक जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

78

12 नवंबर 2015



12 नवंबर 2015

सा/र

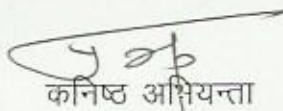
अधीन
कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपबन्ध

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर
मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

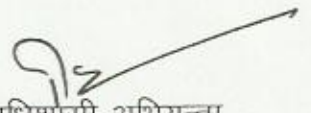
मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



अधिशोसी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर